State Institute of Health & Family Welfare
Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004
ISO 9001:2015 Certified Institution

F-109(6)/SIHFW/MH-Recruit/Pharma/2023/ 12058 Date:- 8/12/23

स्पष्टीकरण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संवर्ग भर्ती 2023 के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः आई.डी.178/चिस्वा/ग्रुप–3/2023 दिनांक 22.11.2023 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को दिनांक 10.12.2023 से उनके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया जाना प्रस्तावित हैं।

अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा पृथक से जिले/संस्थानवार कार्यक्रम जारी किया जायेगा, जिसके अनुसार सम्बंधित दिवस को कार्यक्रम अनुसार बुलाये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी को संस्थान में उपस्थित होना है। उक्त का अभिप्राय अधिकारीगण द्वारा दिनांक 10.12.2023 तक/को संस्थान में उपस्थित होकर पुर्नसत्यापन का कार्य करवाया जाना नही है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन हेतु सम्बंधित आवेदक को संस्थान में उपस्थित नही होना है।

अतः कार्यक्रम जारी किये जाने के पश्चात सम्बंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारीगण तद्नुसार पुर्नसत्यापन कार्य हेतु दिनांक 22.11.2023 को जारी प्रपत्र तथा इसके साथ अंकित आवश्यक दस्तावेजो के साथ संस्थान में पुर्नसत्यापन कार्य हेतु उपस्थित होवें।

8/12/23
निदेशक

F-109(6)/SIHFW/MH-Recruit/Pharma/2023/ 12059-71 Date:-8/12/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक– एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1/2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक (जनस्वा0/अराजपत्रित/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी./मोबाइल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज/राजमेस/आरयूएचएस।
10. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
12. अन्य समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी।
13. प्रभारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार